विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एड्मोर्डो फेलेरियो) : (क) बंगलादेश की सरकार म्यांमार के सभी शरणार्थियों को चटगांव पहाड़ी क्षत्रों में बसाने की बजाय उन्हे उस देश में वापस भेजने पर जोर दे रही है। जब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक चकमा शरणार्थियों को बंगलादेश वापस भेजने की हमारी व्यवस्था पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) इस समय त्रिपुरा के शिविरों में लगभग 53,200 चकमा शरणार्थी हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1991–92 के दौरान उनकी देखभाल के लिए त्रिपुरा सरकार को 838 लाख रुपये दिये थे ।

न्यायधीशों की संख्या का बढ़ाया जाना

*18. **श्री राम अवतेश सिंह** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 9 मार्च, 1992 और 23 मार्च, 1992 को राज्य सभा में क्रमश: अतारांकित प्रश्न सं० 1676 और 3282 के दिए गए उत्तरों को देखेंग और यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में प्रतिवर्ष कितने नए मामले दायर किए जाते हैं और कितने मामले निपटाए जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 50 करने और राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालयों की संख्या को दुगुना करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों की जानकारी निम्न-लिखित है :–

वर्ष	संस्थित मामले	निपटाए गए मामले
1989	52138	48118
1990	38293	56343
1991	42215	93102

(ख) जी नहीं।

Model Scheme for Workers' Cooperatives

*19. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether in view of the growing in cidents of failure of public sector and private sector units Government have thought of or prepared a model scheme or outlines for third sector, workers' co operative sector; if so, what are the details thereof if not, what are the reasons there for; and

(b) whether Government have worked out any solution in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) No, Sir. However, revival of a sick industrial company through workers' co-operatives is one of the measures envisaged under the provisions' of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. This is one of the options that is considered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) when considering rehabilitation of sick units. Now, the sick public sector units have also been brought under the purview of BIFR.